M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / DSMS / 2024–25 / 2498 दिनांक : 08.10.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : डिजीटल स्वाईल माश्चर सेंसर (DSMS) की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : निगम के साथ M/S SKR AGROTECH, WARDHA (M.S.) द्वारा किया गया एम.ओ.यू.।

निगम ने M/S SKR AGROTECH, 5 MOHATA MARKET, MAIN ROAD, WARDHA (M.S.) - 442001 के साथ डिजीटल स्वाईल माश्चर सेंसर (DSMS) का प्रदाय निगम के माध्यम से करने हेतु एम.ओ.यू. संपादित किया गया है। डिजीटल स्वाईल माश्चर सेंसर (DSMS) के प्रदाय हेतु क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार हैं :–

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 12%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST @ 12%	FINAL SELLING PRICE
1	MODEL - 1 DSMS ECONOMIC	3200.00	384.00	**3584.00**	3200.00	160.00	403.20	**3763.20**
2	MODEL - 2 DSMS ADVANCED	4000.00	480.00	**4480.00**	4000.00	200.00	504.00	**4704.00**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर दर प्रसारण की दिनांक 08.10.2024 से आगामी एक वर्ष (अर्थात दिनांक 07.10. 2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

......2

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

.....3

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR), **कोयम्बटूर द्वारा दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।** आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** प्रदायित की जा रही सामग्री की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग से इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में प्रदायकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

2499
10-10-24

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
10/10/2024
प्रबंधक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रलाय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, रेशम विभाग, मंत्रलाय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर –2, भोपाल – 462003
7. आयुक्त, रेशम विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. M/S SKR AGROTECH, 5 MOHATA MARKET, MAIN ROAD, WARDHA (M.S.) CONTECT PERSON SHRI BHARAT MAHESWARI - 9826055273

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
10/10/2024
प्रबंधक (...)

भा.कृ.अनु.प.- गन्ना प्रजनन संस्थान
ICAR - SUGARCANE BREEDING INSTITUTE
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
(Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Govt. of India)
कोयम्बत्तूर - 641007 तमिलनाडु
COIMBATORE - 641007 TAMILNADU

डॉ. जी. हेमप्रभा
निदेशक
Dr. G. Hemaprabha
Director

INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023

SBI
ग.प्र.सं.
Estd. 1912

TECHNICAL SPECIFICATION OF DIGITAL SOIL MOISTURE SENSOR (DSMS) - ECONOMIC MODEL

Operating Voltage	:	3.7 V/2200 x 2 mAH
Maximum Current	:	150 mA
Resolution	:	0.1%
Operating Temperature	:	-10^0 C to + 60^0 C
Range	:	5 to 40% VWC
Relative Range	:	0 to 100% Available Soil Moisture (ASM)
Accuracy	:	+/- 10% ASM
Probe output	:	Analog to Digital
Electrical Connector	:	Charging 5 Volt/500 mA
Sensing Element	:	SS Rod 304 grade to be inserted up to 15 to 20 cm depth
Configuration	:	Economy sensor (soil Moisture level through OLED Display)
Body Materia	:	ABS (Matte Finish)
Probe Material	:	Stainless Steel
Gross Weight	:	483 gms
Net Weight	:	417 gms
Rod Dimensions	:	270mm X 5 mm (LXD)

(G. HEMAPRABHA)

डॉ. जी. हेमप्रभा
Dr. G. HEMAPRABHA
निदेशक
Director
भा.कृ.अनु.प. - गन्ना प्रजनन संस्थान
ICAR - Sugarcane Breeding Institute
कोयम्बत्तूर / Coimbatore - 641 007

Telephone Nos. Director Office : 0422-2472986 Res : 0422-2472811
General : EPBX : 0422-2472621, 2472723, 2472772, 2472823, 2473971, 2473194, Fax : 0422-2472923
E-mail : director.sbi@icar.gov.in, Website : https://sugarcane.icar.gov.in

भा.कृ.अनु.प.- गन्ना प्रजनन संस्थान
ICAR - SUGARCANE BREEDING INSTITUTE
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
(Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Govt. of India)
कोयम्बत्तूर - 641007 तमिलनाडु
COIMBATORE - 641007 TAMILNADU

डॉ. जी. हेमप्रभा
निदेशक
Dr. G. Hemaprabha
Director

MILLETS 2023

SBI
ग.प्र.सं.
Estd. 1912

TECHNICAL SPECIFICATION OF DIGITAL SOIL MOISTURE SENSOR DEVICE DSMS – GSM MODULE (ADVANCE)

Operating Voltage	:	3.7 V/5200 mAH
Maximum Current	:	150 mA
Resolution	:	0.10%
Operating Temperature	:	-100 C to + 600 C
Range	:	5 to 40% VWC
Relative Range	:	0 to 100% water Holding capacity
Accuracy	:	+/- 10%
Probe output	:	Analog to Digital
Electrical Connector	:	Charging 5 Volt/500 mA
Sensing Element	:	SS Rod to be inserted upto 15 to 20 cm depth
Configuration	:	Economy sensor(soil Moisture level through OLED Display)
Body Materia	:	ABS (Matte Finish)
Probe Material	:	Stainless Steel
Gross Weight	:	483 gms
Net Weight	:	417 gms
Rod Dimensions	:	48cm X 10cm (LXD)
GSM Module	:	SIM 800L
SIM Card Slot	:	Micro SD

(G. HEMAPRABHA)

डॉ. जी. हेमप्रभा
Dr. G. HEMAPRABHA
निदेशक
Director
भा.कृ.अनु.प. - गन्ना प्रजनन संस्थान
ICAR - Sugarcane Breeding Institute
कोयम्बत्तूर / Coimbatore - 641 007